



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062026-273810
CG-DL-E-25062026-273810

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 457]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/आषाढ 1, 1948

No. 457]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ASHADHA 1, 1948

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

सा.का.नि. 508(अ).— केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला ब्लॉक आवंटन नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कोयला ब्लॉक आवंटन (संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- कोयला ब्लॉक आवंटन नियम, 2017 में, -
 - नियम 8 में, जहां कहीं भी "निष्पादन बैंक गारंटी" शब्द जहां-जहां आए हैं, उनके स्थान पर "पालन बैंक गारंटी या बीमा प्रतिभूति बांड" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

" (9क) कोई भी सफल आवंटिती जिसने कोयला ब्लॉक आवंटन (संशोधन) नियम, 2026 के प्रारंभ होने से पहले पालन बैंक गारंटी प्रदान की है, उसके पास पालन बैंक गारंटी को 'बीमा प्रतिभूति बांड' से बदलने का विकल्प भी होगा।"

[फा. सं. 11022/01/2015-सीए-III]

रूपिंदर बरार, अपर सचिव

टिप्पणः- मूल नियमों को भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 877 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 300 (अ), दिनांक 18 मई, 2020 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 394 (अ), दिनांक 29 मई, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2026

G.S.R. 508(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (d) of sub-section (2) of section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coal Blocks Allocation Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Coal Blocks Allocation (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coal Blocks Allocation Rules, 2017,

(i) in rule 8, — for the words "performance bank guarantee", wherever they occur, the words "performance bank guarantee or insurance surety bond" shall be substituted;

(ii) after sub-rule (9), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(9A) Any successful allocatee who has provided a performance bank guarantee prior to the commencement of the Coal Blocks Allocation (Amendment) Rules, 2026, shall have the option to replace the ‘performance bank guarantee’ with an ‘insurance surety bond’.”

[F. No. 11022/01/2015-CA-III]

RUPINDER BRAR, Addl. Secy.

Note. — The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 877(E), dated the 13th July, 2017 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 300(E), dated the 18th May, 2020 and *vide* notification number G.S.R. 394(E), dated the 29th May, 2023.